हुक्म	
13/1/26	अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 से 7 के अधिवक्ता उप. अधिवक्तागण को प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर सुना गया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित आदेश दि. 27-12-2019 प्रकरण सं. 02/2019 अनवान सरकार बनाम खेराज व अन्य की आदेश के पालना में पारित नामान्तरकरण को निरस्त करने वास्ते अपील पेश की गई। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा अपनी बहस में यह प्रकट किया गया कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा उक्त आदेश अन्तर्गत धारा 135(2) रा. भू. अधिनियम 1956 के तहत से किया गया है एवं उक्त धारा की अपील इस न्यायालय में नहीं की जा सकती। इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किया गया। पत्रावली में शामिल रेकर्ड का अवलोकन से यह तथ्य पुष्ट हुआ कि उक्त आदेश अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्व भू. अधिनियम, 1956 के तहत पारित किया गया, जिसकी अपील का श्रवण क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अत: इस आधार पर उक्त अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)